जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 214वीं बैठक दिनांक 09.09.2025 को प्रातः 10:30 बजे श्री देबाशीष पृष्टी, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	214:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 213वीं बैठक दिनांक 17.07.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	10	214:2	बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2024–2025 के अनुसार राजकीय कन्या महाविद्यालय आमेर जयपुर उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर को भूमि आवंटन बाबत्।	बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2024–2025 के अनुसार राजकीय कन्या महाविद्यालय आमेर जयपुर उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर को भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढ़ाब का नाला तहसील आमेर के खसरा नम्बर 441, 442, 442/656, 442/657 कुल किता 4 कुल रकबा 7.98 हैक्ट. किस्म चारागाह जो कि जयपुर विकास प्राधिरण के नाम है में से जोन द्वारा प्रस्तावित 20,000 व.मी. के स्थान पर नवीन राजस्थान भू–आवंटन नीति–2025 के परिशिष्ट ''अ'' में निर्धारित अनुसार 10,000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत भूमि के साईट/खसरा प्लान के अनुसार उक्त भूमि में से गुजर रही 30 मीटर की प्रस्तावित सड़के एवं एचटी लाईन कॉरिडोर से अधिकतम दूरी के अनुसार दी जाने वाली भूमि की प्लानिंग तैयार कर पीडब्ल्यूसी की बैठक में

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

				अनुमोदन करवाया जावे।
3.	10	214:3	1. श्री लखबीर पुत्र श्री ग्यारसीलाल (शौर्य चक्र विजेता), 2. श्री पवन कुमार यादव पुत्र श्री चन्दगी राम यादव (कीर्ति चक्र विजेता), 3. श्रीमती मनभर देवी पत्नी शहीद श्री बन्ने सिंह गुर्जर (शौर्य चक्र विजेता), 4. सुश्री दीपा मलिक पुत्री श्री कर्नल बी.के. नागपाल (अर्जुन अवार्ड), 5. सुश्री अनिता देवी पत्नी शहीद श्री अजीत सिंह (शौर्य चक्र विजेता), उक्त मैडल धारक (ओलंपिक्स /पैरा ओलंपिक्स में पदक, एशियाड/कॉमनवेल्थ में पदक), राष्ट्रपति पदक अवार्डी व स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत् जविप्रा की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	1. श्री लखबीर पुत्र श्री ग्यारसीलाल (शौर्य चक्र विजेता), 2. श्री पवन कुमार यादव पुत्र श्री चन्दगी राम यादव (कीर्ति चक्र विजेता), 3. श्रीमती मनभर देवी पत्नी शहीद श्री बन्ने सिंह गुर्जर (शौर्य चक्र विजेता), 4. सुश्री दीपा मलिक पुत्री श्री कर्नल बी.के. नागपाल (अर्जुन अवार्ड), 5. सुश्री अनिता देवी पत्नी शहीद श्री अजीत सिंह (शौर्य चक्र विजेता), उक्त मैडल धारक (ओलंपिक्स/पैरा ओलंपिक्स में पदक, एशियाड/कॉमनवेल्थ में पदक), राष्ट्रपति पदक अवार्डी व स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत् जविप्रा की गोविन्द विहार आवासीय योजना में 216 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड आवंटित करने बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा स्वीकार कर उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से कॉर्नर के भूखण्डों को छोडकर लॉटरी के माध्यम से एक एक भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन स्तर से आवंटन/मांगपत्र जारी किये जाने से पूर्व समस्त पात्रता/सक्षमता संबंधी दस्तावेजों की सुनिश्चितता करने के पश्चात ही आवंटित की जाये। ***उक्त के अतिरिक्त गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को भूखण्ड आवंटन के भविष्य में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरणों में गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों के एल.सी. नम्बर का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावे।**
4.	11	214:4	**श्रीमती रोबिना सेन पत्नी मेजर स्व. श्री रतन कुमार सैन शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता।** उपरोक्तानुसार गैलेण्ट्री अवार्ड्स धारकों (परमवीर चक्र/महावीर	**श्रीमती रोबिना सेन पत्नी मेजर स्व. श्री रतन कुमार सैन शौर्य चक्र पुरूस्कार विजेता।** उपरोक्तानुसार गैलेण्ट्री अवार्ड्स धारकों (परमवीर चक्र/महावीर चक्र/वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

			चक्र/वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र) एवं मैडल धारकों (ओलंपिक्स/पैरा ओलंपिक्स में पदक, एशियाड/कॉमनवेल्थ) में राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत् जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर में 162.00 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डो मे से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटन बाबत।	(ओलंपिक्स/पैरा ओलंपिक्स में पदक, एशियाड/कॉमनवेल्थ) में राजस्थान अरबन डिस्पोजल रूल्स 1974 के नियम 17–ए के तहत् जविप्रा की आवासीय योजना मोहनलाल सुखाडिया नगर में 162.00 व.मी. क्षेत्रफल के उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से अवार्डधारक को एक भूखण्ड आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा स्वीकार कर उपलब्ध आवासीय भूखण्डों में से कॉर्नर के भूखण्डों को छोडकर लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड क्षेत्रफल 162 व.मी. आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन स्तर से आवंटन/मांगपत्र जारी किये जाने से पूर्व समस्त पात्रता/सक्षमता संबंधी दस्तावेजों की सुनिश्चितता करने के पश्चात ही आवंटित की जाये। ***उक्त के अतिरिक्त गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को भूखण्ड आवंटन के भविष्य में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरणों में गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों के एल.सी. नम्बर का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जावे।**
5.	12	214:5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का रीजनल ऑफिस कार्यालय हेतु ग्राम बडी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35, 64 एवं 65 रकबा 3.84 हैक्टे. में से 14759.03 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का रीजनल ऑफिस कार्यालय हेतु ग्राम बडी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35, 64 एवं 65 रकबा 3.84 हैक्टे. में से 14759.03 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श के दौरान उपायुक्त–12 ने बताया कि प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु क्षेत्र के हाईवे (प्रमुख सड़क) के पास वांछित भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं होने एवं यही बेहतर विकल्प होने की स्थिति में जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ग्राम बड़ी का खेड़ा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 35, 64 एवं 65 रकबा 3.84 हैक्ट. में से 14,759.03 व.मी. भूमि जिसका भू उपयोग जोनल प्लान में पब्लिक/सेमी पब्लिक दर्शित है, जेडीए रीजनल कार्यालय हेतु आरक्षित की जाती है।

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

6.	12	214:6	नवीन पुलिस चौकी, बेगस तहत पुलिस थाना बगरू (पश्चिम) जयपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण करने बाबत।	नवीन पुलिस चौकी, बेगस तहत पुलिस थाना बगरू (पश्चिम) जयपुर में प्रशासनिक भवन निर्माण करने बाबत 500 व.मी. भूमि पुलिस चौकी हेतु एवं उनके कार्यालय हेतु 1000 व.मी. भूमि आवंटन का एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। एलपीसी की 213वीं बैठक दिनांक 17.07.2025 में लिये गये निर्णय अनुसार पुलिस चौकी बेगस के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 500 व.मी. भूमि ग्राम रामसिंहपुरा ग्राम पंचायत फतेहपुरा तहसील कालवाड़ के खसरा नम्बर 201/1 में से निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर एलपीसी के निर्णय दिनांक 17.07.2025 में संशोधन करते हुए जोन द्वारा प्रस्तावित जविप्रा की योजना रघुनाथ विहार के भूखण्ड संख्या बी–395 के सामने अनुमोदित योजना मानचित्र में दर्शित फैसेलिटी एरिया के 2000 व.मी. में से नवीन राजस्थान भू–आवंटन नीति– 2025 के परिशिष्ट ''अ'' में निर्धारित अनुसार (उक्त फैसेलिटी में से) 500 व.मी. भूमि ही निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	12	214:7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का रीजनल ऑफिस कार्यालय हेतु जविप्रा की हाथोज करधनी विस्तार योजना में स्थित डिस्पेन्सरी व पोस्ट ऑफिस हेतु आरक्षित लगभग 7890.00 व. मी. एवं कॉमर्शियल/ संस्थानिक हेतु आरक्षित लगभग 2363.00 व. मी. अर्थात् कुल 10253.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का रीजनल ऑफिस कार्यालय हेतु जविप्रा की हाथोज करधनी विस्तार योजना में स्थित डिस्पेन्सरी व पोस्ट ऑफिस हेतु आरक्षित लगभग 7890.00 व.मी. एवं कॉमर्शियल/संस्थानिक हेतु आरक्षित लगभग 2363.00 व.मी. अर्थात् कुल 10253.00 व.मी. भूमि आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श के दौरान उपायुक्त (जोन–12) के बताये अनुसार कालवाड़ रोड पर अन्य कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु क्षेत्र जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की हाथोज करधनी विस्तार योजना में स्थित डिस्पेन्सरी व पोस्ट ऑफिस हेतु आरक्षित लगभग 7,890 व.मी. एवं कॉमर्शियल/संस्थानिक उपयोग हेतु आरक्षित लगभग 2363.00 व.मी. अर्थात् कुल

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

				10253.00 व.मी. भूमि प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आरक्षित की जाती है। यह भूमि पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्डो को अन्यत्र आरक्षित किये जाने एवं आवंटित क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र दर्ज किये जाने हेतु प्लानिंग तैयार कर पीडब्ल्यूसी की बैठक में अनुमोदन करवाया जावे।
8.	13	214:8	ग्राम अचरोल तहसील आमेर में जविप्रा की योजना साईन्स टेक सिटी में पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 26416.25 व.मी. को योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि से विनिमय करने की पीडब्ल्यूसी से स्वीकृति/अनुमोदन की स्थिति में भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 26416.25 व.मी. में से 10000 व.मी. भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आवंटन करने बाबत।	ग्राम अचरोल तहसील आमेर मे जविप्रा की योजना साईन्स टेक सिटी में पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 26416.25 व.मी. को योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि से विनिमय करने की पीडब्ल्यूसी से स्वीकृति/ अनुमोदन की स्थिति में भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 26416.25 व.मी. में से 10000 व.मी. भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आवंटन करने बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ग्राम अचरोल तहसील आमेर में जविप्रा की योजना साईन्स टेक सिटी में पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 26416.25 व.मी. में से 10,000 व.मी. भूमि प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित भूखण्ड को अन्यत्र स्थान पर आरक्षित किये जाने संबंधी प्लानिंग तैयार कर पीडब्ल्यूसी की बैठक में अनुमोदन करवाया जावे।
9.	13	214:9	बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के तहत् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ क्रमोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ को नवीन भवन निर्माण हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना जमवारामगढ फार्म हाउस योजना में स्थित संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 14908	बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के तहत् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ क्रमोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जमवारामगढ को नवीन भवन निर्माण हेतु जविप्रा की अनुमोदित योजना जमवारामगढ फार्म हाउस योजना में स्थित संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 14908 व.मी. भूमि के आवंटन बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

			व.मी. भूमि के आवंटन बाबत।	जमवारामगढ़ फार्म हाउस योजना के संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 14908 व.मी. के निःशुल्क आवंटन पर निर्णय हेतु प्रकरण निम्न तथ्यों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय किया गया। • एलपीसी की 181 वीं बैठक दिनांक 29.03.2023 में उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ को भवन निर्माण हेतु जविप्रा की जमवारामगढ़ योजना में संस्थानिक भूखण्ड 5378 व.मी. आवंटित किया जा चुका है। जिसकी लीजडीड दिनांक 01.09.2023 को जारी की जा चुकी है। • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 04.08.2022 के अनुसार 100 बेड सीएचसी हेतु 28,500 व.मी. क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। • राज्य सरकार द्वारा जारी भू–आवंटन नीति–2025 के बिन्दु 4.1(2) के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक के आवंटन के संबंध में सक्षमता राज्य सरकार में निहित है। ***उप जिला चिकित्सालय जमवारामगढ़ को पूर्व में आवंटित 5378 व.मी. भूमि के बारे में जोन स्तर से संबंधित विभाग से चर्चा कर निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।**
10.	13	214:10	राजकीय महाविद्यालय कानोता को स्थाई भवन निर्माण हेतु जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी–ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में।	राजकीय महाविद्यालय कानोता को स्थाई भवन निर्माण हेतु जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी–ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. भूमि आवंटन के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी–ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. भूमि में से 10000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
11.	14	214:11	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत– चतुर्थ जविप्रा, जयपुर को जविप्रा की नॉलेज सिटी साउथ चित्तौड़ा में	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत– चतुर्थ जविप्रा, जयपुर को जविप्रा की नॉलेज सिटी साउथ चित्तौड़ा में विद्युतीकरण कार्य के लिये विद्युत सब

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

			विद्युतीकरण कार्य के लिये विद्युत सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन/आरक्षित करने बाबत।	स्टेशन हेतु भूमि आवंटन/आरक्षित करने बाबत एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की संस्थानिक योजना नॉलेज सिटी साउथ चित्तोड़ा में 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु 5 जगह 1000 व.मी. प्रति जगह कुल 5000 व.मी. भूमि आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। ***132/33 केवी विद्युत सब स्टेशन हेतु प्रस्तावित 5000 व.मी. भूमि के आरक्षित किये जाने के संबंध में भूमि के स्वामित्व एवं लेय राशि हेतु जोन/अभियांत्रिकी शाखा के स्तर से आरवीपीएनएल के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर पॉवर फेक्टर के निर्धारण पश्चात ही अलग से आगामी एलपीसी की बैठक में निर्णय लिया जावे।**
12.	14	214:12	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, जविप्रा, जयपुर को रीजनल कार्यालय स्थापित करने हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम काठावाला तह. चाकसू के खसरा नं. 13 रकबा 0.01 हैक्टे किस्म गै. मु. खारड़ा, खसरा नं. 14 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. कुऑ, खसरा नं. 15 रकबा 2.27 हैक्टे किस्म गै. मु. चारागाह कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टे. में से 90 मीटर सड़क से प्रभावित भूमि को छोड़कर शेष भूमि का आवंटन/आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।	अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन, जविप्रा, जयपुर को रीजनल कार्यालय स्थापित करने हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम काठावाला तह. चाकसू के खसरा नं. 13 रकबा 0.01 हैक्टे किस्म गै.मु. खारड़ा, खसरा नं. 14 रकबा 0.01 है0 किस्म गै. मु. कुऑ, खसरा नं. 15 रकबा 2.27 हैक्टे किस्म गै.मु. चारागाह कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टे. में से 90 मीटर सड़क से प्रभावित भूमि को छोड़कर शेष भूमि का आवंटन/आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है बाबत् एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम काठावाला तह. चाकसू के खसरा नं. 13 रकबा 0.01 हैक्टे किस्म गै.मु. खारड़ा, खसरा नं. 14 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. कुऑ, खसरा नं. 15 रकबा 2.27 हैक्टे किस्म गै.मु. चारागाह कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 हैक्टे. में से 90 मीटर सड़क से प्रभावित भूमि को छोड़कर शेष भूमि का आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से प्रस्तुत टेबल एजेण्डा।

क्र.सं.	जोन	विषय	निर्णय
1	4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश राज्य सरकार के	जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional
Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

		जवाब एवं प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 211 वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 में लिये गये निर्णय अनुसार ग्राम सांगानेर तह. सांगानेर के खसरा नं. 58 कुल क्षेत्रफल 3400 वर्गमीटर में से जोनल डवल्पमेंट प्लान की 24 मीटर सडक के दक्षिणी ओर क्षेत्रफल 2233 वर्गमीटर, खसरा नं. 65 कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर, खसरा नं. 66 कुल क्षेत्रफल 5300 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 5270 वर्गमीटर, खसरा नं. 67 कुल क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 290 वर्गमीटर, खसरा नं. 68 कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर मे से क्षेत्रफल 228 वर्गमीटर, खसरा नं. 69 कुल क्षेत्रफल 2800 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 94 वर्गमीटर, खसरा नं. 77 कुल क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 5225 वर्गमीटर एवं खसरा नं. 61 क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 14940 वर्गमीटर भूमि का खुली जेल परिसर हेतु केन्द्रीय कारागार, जयपुर को निःशुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में।	विमर्श कर प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे विचाराधीन याचिका संख्या 1082/2020 उनवान श्री सुहाश चकमा बनाम भारत सरकार एवं अन्य तथा अवमानना याचिका संख्या 40620/2024 उनवान श्री प्रसून गोस्वामी बनाम सीमा शर्मा व अन्य में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं एलपीसी की 211वीं बैठक दिनांक 05.06.2025 के निर्णय के क्रम में खुली जैल परिसर हेतु केन्द्रीय कारागार जयपुर को कुल 14940 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी—I, II, III, IV/नगर—आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन—1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर—प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण—प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.302004
दूरभाष.क्ष91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.09.12 08:44:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17671934